

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) हनुमानगढ़

कार्यालय ओदश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्त आदि) नियम 1993 एवं राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 9(02) शिक्षा-5/05 दिनांक 17.1.2006 के क्रम में श्रीमान् आयुक्त महोदय प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर द्वारा जारी "विज्ञप्ति" क्रमांक शिविरा प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/02-06/ II (मु.) 156 दि. 19.1.2007 के निर्देशानुसार निम्नलिखित निजी शिक्षण संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ-पत्र एवं अण्डरटेकिंग के आधार पर सत्र 2007-08 से इनके नाम के सम्मुख अंकित स्तर एवं माध्यम में मान्यता प्रदान की जाती है।

इन संस्थाओं द्वारा सत्र 2007-08 में कक्षा "छः" व तत्पश्चात् सत्रवार क्रमशः "सातवी" एवं "आठवी" कक्षाओं का संचालन करना होगा।

क्र.सं.	संस्था का नाम	मान्यता स्तर	माध्यम
1	सट्रा बेरी फिल्डस कान्वेंट स्कूल हनुमानगढ़ टाऊन	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
2	ब्राइट स्टार चिल्ड्रन पब्लिक शिक्षा समिति गांधीबड़ी	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
3	माता कैलाशवती शिक्षण समिति सै. 12 वार्ड नं. 9 हनु.जं.	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
4	शिवाजी विद्या निकेतन शिक्षण समिति भादरा	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
5	सरस्वती शिक्षण सदन उप्रावि. चरणवासी	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
6	गुरुनानक देव खालसा शिक्षण संस्थान मक्कासर (हनु)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
7	शांति निकेतन पब्लिक शिक्षण समिति सलेमगढ़ मसानी(टिब्बी)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
8	भारतीय चिल्ड्रन एकेडमी भूकरका (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
9	आर्यन पब्लिक शिक्षण संस्थान निनाण (भादरा)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
10	नेहरू मैमो. पब्लिक स्कूल समिति साहूवाला (भादरा)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
11	सरस्वती पब्लिक शिक्षण समिति छानीबड़ी (भादरा)	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
12	शहीद भगत सिंह शिक्षण संस्थान टीडियासूर (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
13	भगत सिंह शिक्षण समिति दीनगढ़ (संगरिया)	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
14	सरदार भगत सिंह शिक्षण संस्थान बुगलावाली (संगरिया)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
15	भास्कर शिक्षण संस्थान सूरतपुरा (भादरा)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
16	शारदा बाल विहार पब्लिक स्कूल समिति भैस्सरी (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
17	सुभाषचन्द्र बोस शिक्षण संस्थान भावलदेसर (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
18	सैक्रेड हार्ट स्कूल हनुमानगढ़ जं.	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
19	महर्षि दयानन्द शिक्षण समिति कुम्हारावाली ढाणी (रावतसर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
20	गुरुदेव उच्च प्राथमिक विद्यालय शैरगढ़ (संगरिया)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
21	सुभाषचन्द्र बोस शिक्षण समिति झेदासर (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
22	चौधरी कुम्भाराम आर्य स्मृति शिक्षण संस्थान खुइयां (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
23	बाल भारती विद्यामंदिर, धोलीपाल (हनुमानगढ़)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
24	सुभाषचन्द्र बोस पब्लिक उप्रावि. 22 एनटीआर (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
25	सरस्वती पब्लिक शिक्षा संस्थान 29 डी डब्ल्यू डी (रावतसर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
26	बी.आर.मैमोरियल कान्वेंट स्कूल पीलीबंगा	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
27	मां मदर टेरेसा विकास समिति करनपुरा (भादरा)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
28	मदर टेरेसा मैमोरियल स्कूल वार्ड नं. 28 नोहर	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
29	श्री जम्भेश्वर बाल निकेतन शेरेंका (टीबी)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
30	श्री रविन्द्र बाल निकेतन 2 केएसपी (टीबी)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
31	श्री नेहरू चिल्ड्रन पब्लिक शिक्षण संस्थान जक सरदारपुरा (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
32	बाल विकास उच्च प्राथमिक वि. ढाणी लालखां (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
33	जीवन ज्योति उच्च प्राथमिक पाण्डूसर (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
34	ज्ञान ज्योति विद्या मन्दिर शिक्षा करनीसर सहजीपुरा (हनु.)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी

जसवन्त सिंह मैमोरियल शिक्षण संस्था वार्ड नं. 11 टीबी	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल हरिपुरा (संगरिया)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
बाबा संगू सिंह जी मैमोरियल पब्लिक स्कूल भगतपुरा (संगरिया)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
आस्था एकेडमी शिक्षण संस्थान चक 7 डी डब्ल्यू एम (रावतसर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
महर्षि दयानन्द शिक्षण संस्थान ललाणा (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
बाल भारती पब्लिक उप्रावि अजीतपुरा (भादरा)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
सन्त कबीर पैराडाइज शिक्षण समिति अजीतपुरा (भादरा)	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
स्वामी विवेकानन्द शिक्षण संस्थान जबरासर (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
डी ए वी पब्लिक स्कूल गोलूवाला निवादान (हनुमानगढ़)	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
गणपति एज्युकेशन एकेडमी धौलीपाल (हनुमानगढ़)	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
डी ए वी पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी
आर.के. मैमोरियल पब्लिक स्कूल बरकत कॉलोनी हनु. टा.	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
महाराणा प्रताप मैमोरियल शिक्षण संस्था, पल्लू	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
सरस्वती विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान बुधवालिया (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज पब्लिक स्कूल रामगढ़ (नोहर)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
केशव मरुधरा विद्यापीठ संस्था पल्लू	उच्च प्राथमिक	हिन्दी
शान्ति निकेतन बाल आदर्श विद्यालय मोठसरा (भादरा)	उच्च प्राथमिक	हिन्दी

उक्त संस्थाओं द्वारा मान्यता नियम, राज्य सरकार एवं विभागीय निर्देशों की पालना न करने पर या तम अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय यदि यह पाया जाता है कि सम्बन्धित संस्था मान्यता नियमों के नुसार निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करती है, तो उक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकेगी। अंग्रेजी ध्यम वाली संस्थाएँ राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही अध्यापन करवायेंगी।

ट:- उक्त संस्थाओं में से क्र. सं. 12, 14, 16, 18, 19, 23, एंवम 28 द्वारा भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र 31 एंवम 49 द्वारा निर्धारित प्रारूपानुसार शपथ-पत्र एंवम अंडरटेकिंग तथा क्र. सं. 9 एंवम 10 द्वारा निर्धारित रूपानुसार शपथ-पत्र वर्तमानपर्यन्त इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः इन संस्थाओं को उक्त मान्यता उक्त कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर दी जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी

(प्रारम्भिक) हनुमानगढ़।

क्रमांक:- जिशिआ/प्रा/हनुमानगढ़/मान्यता/06/विधि/284

दिनांक:-

तिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

30-03-2007

- 1 श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा ग्रुप-57 विभाग जयपुर।
- 2 श्रीमान् आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 3 श्रीमान् उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, चुरू।
- 4 श्रीमान् प्राधानाचार्य/अध्यक्ष जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति डाइट चुनावद
- 5 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़/नोहर/भादरा।
- 6 संयोजक समान परीक्षा राउप्रावि. रेल्वे, हनुमानगढ़ संगम।
- 7 संबंधित संस्था
- 8 कार्यालय प्रति।

डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन

जिला शिक्षा अधिकारी

(प्रारम्भिक) हनुमानगढ़।

**कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक HANUMANGARH ,
राजस्थान**

क्रमांक: 1133

दिनांक 04/09/2023

सचिव

प्रबंध समिति

DAV PUBLIC SCHOOL HANUMANGARH JUNCTION

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 एवं (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 42455 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, DAV PUBLIC SCHOOL HANUMANGARH JUNCTION पता Near Phed, Abohar By pass road hanumangarh Junction ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NAGAR PARISHAD Hanumangarh ब्लॉक HANUMANGARH आसा पासा (पूर्व -पश्चिम, उत्तर दक्षिण) 0 खसरा न. 0 को शैक्षिक सत्र 2023-24 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

स्थान (पता) परिवर्तन			
वर्तमान में स्कूल का स्थान (पता)			
जिला	HANUMANGARH	ब्लॉक	HANUMANGARH
ग्राम पंचायत /यु एल बी		ग्राम /वार्ड	
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)	Nageena marg, Gandhi Nagar, Court Road, Hanumangarh		
स्वीकृत स्थान (पता)			
जिला	HANUMANGARH	ब्लॉक	HANUMANGARH
ग्राम पंचायत /यु एल बी	NAGAR PARISHAD Hanumangarh	ग्राम /वार्ड	Hanumangarh (M) - Ward No.48
विद्यालय का नवीन स्थान (पूरा पता)	Near Phed, Abohar By pass road hanumangarh Junction		
नाम परिवर्तन के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	DAV PUBLIC SCHOOL HANUMANGARH JUNCTION		
स्वीकृत नवीन नाम	DAV CENTENARY PUBLIC SCHOOL HANUMANGARH JUNCTION		

- विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक HANUMANGARH , राजस्थान

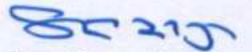
5. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
6. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
7. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
 - (I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
 - (III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
 - (IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;
 - (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
 - (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए
 - (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
 - (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
8. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
9. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
10. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
12. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
13. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
14. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
15. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
16. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय- समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
18. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
19. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
20. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

**कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक HANUMANGARH ,
राजस्थान**


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक हनुमानगढ़

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक हनुमानगढ़